संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक 3816 /टीसी/105/ धार/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- 26/ /09/2022

प्रति,

अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, .
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

विषय:- धार विकास योजना, 2021 में उपांतरण बाबत। (ग्राम इस्लामपुरा तहसील एवं जिला धार का खसरा क्रमांक 13/1 रकबा 0.7724 हेक्टेयर - लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग)

संदर्भ:- आपके कार्यालय का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 754 दिनांक 28.06.2022, एवं इस संचालनालय का पत्र पृ. क्रमांक 2952 दिनांक 18.07.2022

उपरोक्त विषय में लेख है कि संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल ने धार विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया है। अत: साधिकार समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के परिपालन में संलग्न सूचना, धार नगर में प्रचलित ऐसे **एक दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुसूची में हो तथा धार नगर में व्यापक परिचालन में हो।

तद्नुसार कृपया उक्त सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियॉ इस संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक /टीसी/105/ धार/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- /09/2022

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2 आयुक्त, संचालनालय जनसम्पर्क, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर की ओर लेख है कि, उक्त सूचना के प्रकाशित होने वाले दोनो समाचार पत्रों की मूल प्रतियां एवं निर्धारित समय सीमा में यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त हो तो उसकी प्रति संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- यथोपरि।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-20/09/2022

क्रमांक 3816/टीसी/105/ धार/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट धार विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	इस्लामपुरा तहसील एवं जिला धार	13/1	खसरा क्रमांक 13 का कुल रकबा-1.0380	0.7724	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं बस स्टेण्ड	मिश्रित

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर है। अतः मार्ग मध्य से 6.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।

2. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 तथा उर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा।

3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

शर्त :-

1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियॉ मान्य होगी।

2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल